



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



कृषि कृतकर्म
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक- 1068 / 12-1 देहरादून:
सेवा में,

दिनांक: 3 दिसम्बर, 2025

सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण हेतु 0.402 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय स्टेट बैंक को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(Online Proposal No- FP/UK/OTHERS/28642/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु भारतीय स्टेट बैंक, हल्द्वानी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.402 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-III पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु विचार करना चाहें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1068/ 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उप वन महानिरीक्षक (के0), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा की जाए।
4. जिलाधिकारी, जनपद-नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
6. उप महाप्रबन्धक (व्य0 एवं परी0), प्रशासनिक कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, हल्द्वानी।

(डॉ० एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-III

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

(Online Proposal No- **FP/UK/OTHERS/28642/2017**)

1-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक की सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।
----	---	--

तिथि:- 2.12.2015

स्थान:- 21.11.2015.

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand